

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड-तोकापाल,
जिला-बस्तर (छ0ग0)

Email id :- beotokapal@gmail.com

phone number :- 07782-263251

विज्ञापन

क्र./ 1152/ वि.ख.शि.अ. /योगा/स्पोर्ट शिक्षक/प्रशिक्षक/2023-24तोकापाल, दिनांक 18/01/2024

प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्र./4771/दिनांक 28.11.2023 एवं पत्र क्र. 5183/ समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2023-24 रायपुर दिनांक 07.12.2023 में प्राप्त निर्देशानुसार विकास खण्ड तोकापाल में 01 पीएमश्री शाला पीएमश्री प्रा.शा. देउरगांव यूडाईस कोड 22152316001 हेतु स्वीकृत 01 पद अंशकालिक योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु निश्चित मानदेय प्रतिमाह 10000.00 कुल 03 माह के लिए नियुक्ति हेतु योग्यता धारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, इच्छुक अभ्यर्थी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी तोकापाल जिला बस्तर (छ0ग0), पिन कोड 494442 में दिनांक 29.01.2024 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में साधारण डाक/कुरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम या स्वयं कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- वेतन विवरण/शैक्षणिक अहर्तायें का विवरण निम्नानुसार है :-

पद का नाम	पद संख्या	निर्धारित मानदेय	अनिवार्य न्यूनतम योग्यता
अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक	01	10000/- एकमुश्त	खेल शिक्षक/योग प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या शारीरिक शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री, योग से संबंधित प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष योग्यता के साथ पूर्व में योग प्रशिक्षण एवं सिखाने का अनुभव

नियम एवं शर्तें :-

1. उम्मीदवारों को समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा। निर्धारित अवधि (03 माह) के पश्चात् संबंधितों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा। ?
2. चयन उपरान्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामलों में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. चयनित उम्मीदवार का अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्त्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

5. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
6. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता ही मान्य किये जायेंगे।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्पष्ट होनी चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
8. आवेदक की आयु 01 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2024 की स्थिति में की जायेगी आयु की पुष्टि हेतु उचित प्रमाण-पत्र (कक्षा 10वीं की अंकसूची) संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। छूट प्रमाणीकरण के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
9. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
10. आवेदक को छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
12. अपूर्ण जानकारी होने पर आवेदन अस्वीकृत माना जावेगा।
13. आवेदन के साथ दो लिफाफा जिसमें 10-10 रू0 के टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट होना चाहिए व आवेदक स्वयं कार्यालयीन समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
14. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु जिला परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगा।
15. आवेदकों का चयन मैरिट के आधार पर किया जावेगा।
16. चयनित उम्मीदवार के पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में से मैरिट अंक के आधार पर चयन किया जायेगा।
17. विज्ञापित पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 29/01/2024 को कार्यालयीन समय संध्या 5:00 बजे तक होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड तोकापाल जिला बस्तर (छ0ग0), पिन कोड - 494442 पते पर प्रेषित करना होगा।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड तोकापाल

10. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :-

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

आवेदक यदि किसी विभाग/कार्यालय में कार्यरत है तो कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं :- हॉ/नहीं

12. जाति (अजजा./अजा./अपिव/अना.) :-

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम.

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित में पात्रता शर्तों को पढ़ लिया है, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण और सत्य है। त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के दर्ज की जायेगी।

स्थान
दिनांक

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम